न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1445–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–5–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 913/अपील/12–13.

———

1– इरफान मोहम्मद पुत्र जीमल मोहम्मद
2– इरशाद मोहम्मद पुत्र जीमल मोहम्मद
अयोध्या बस्ती सिंरोज जिला विदिशा
3– संजीदा बी पुत्री जमील मोहम्मद
नि. कजरयाई तह. सिरोंज विदिशा
4– भैया खॉ पुत्र मसूद मोहम्मद
5– अहमद बी वेवा मसूद मोहम्मद
6– सीमा बी पुत्री मसूद मोहम्मद
7– शमाबी पुत्री मसूद मोहम्मद
8– रानी बी पुत्री मसूद मोहम्मद
9– रूबी पुत्री मसूद मोहम्मद
सभी निवासी कमांक 4 से 9 ग्राम टोरी
बागरोद सिरोंज विदिशा
10– कबूलावी पुत्री जमीद मोहम्मद
नि0 सोना सिरोंज जिला विदिशा
11– छोटी बी पुत्री मसूद माहम्मद
नि0 ग्राम टोरी बागरोद सिंरोज
जिला विदिशा म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– शरीफ मोहम्मद पुत्र अजीज मोहम्मद
2– लीम मोहम्मद पुत्र अजीज मोहम्मद
3– नसीम मोहम्मद पुत्री अजीज मोहम्मद
4– रईसा बेगम विधिवा फजलुरहमान
निवासी सिरोज जिला विदिशा
5– सीमा कौसर पुत्री फजलुरहमान पत्नि
शाहिद अहमद निवासी सईद कॉलोनी
भोपाल

6– रिहाना परवान पुत्री फजलुरहमान
पत्नि लईकमीर खां निवासी तलैया
तह. सिरोंज जिला विदिशा
7– इमराना परवीन पुत्री फजलुरहमान
पत्नि अकबरशेर खॉ नि. छोटा घेर सिंरोज
8– कनी फातमा पुत्री फजलुरहमान
पत्नि सोहेल अहमद सईद कालोनी भोपाल
9– अताउरहमान पुत्र फजलुरहमान
10– इमाम उररहमान पुत्र फजलुरहमान
11– अल्ताव उररहमान पुत्र फजलुरहमान
12– पैजानुरहान पुत्र फजलुरहमान
निवासी सिरोंज जिला विदिशा ––––– अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर ।

———

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 9–11–2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 913/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 6–5–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा तहसीलदार, सिंराज के न्यायालय में कस्बा सिंरोज की भूमि खाता कमांक 2048 रकबा 3.490 हैक्टर जो जहीर मोहम्मद के नाम दर्ज है की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर उनके वारिसों का नामांतरण किये जाने का निवेदन किया गया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी किया गया । जिस पर आवेदकों द्वारा आपत्ति की गई कि उक्त भूमि जहीर मोहम्मद की न होकर जाहिद मोहम्मद की है व उनके वारिसान आपत्तिकर्ता हैं । अतः उनका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार ने प्रकरण में सुनवाई एवं साक्ष्य

उपरांत आवेदकों का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने एस. डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जिसमें उन्होंने आदेश दिनांक 27–8–13 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा उन्हें यह निर्देश दिए कि वे अनावेदकों द्वारा पूर्व से प्रस्तुत इन्द्राज दुरस्ती के प्रकरण की जांच कर साक्ष्य आदि लेकर नामांतरण किए जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरसत की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है ।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक मात्र विधिक आधार यह लिया गया है कि संहिता की धारा 42 में वर्ष 2012 में हुए संशोधन के अनुसार अपीलीय न्यायालयों को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं है । उन्हें प्रकरण का निराकरण स्वयं साक्ष्य लेकर करना चाहिए था । उक्त आधार पर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेशों को संहिता के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए उन्हें निरस्त करने एवं निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरसत करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण अनावेदकों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को जाहिर मोहम्मद के स्वामित्व की बताते हुए उस पर वारिसाना आधार पर नामांतरण की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिस पर आवेदकों द्वारा आपत्ति की गई कि यह भूमि जाहिद मोहम्मद के स्वामित्व की है ना कि जाहिर मोहम्मद के स्वामित्व की । तहसीलदार द्वारा इस संबंध में जांच न किए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने उनके आदेश को निरस्त कर पूर्व से प्रचलित इन्द्राज दुरस्ती के प्रकरण कमांक 1086/बी–121/10–11 में जांच कर आदेश पारित करने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी के वारिसों का नामांतरण किये जाने के आदेश दिए गए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है । क्योंकि जब तक प्रश्नाधीन भूमि का सही मालिक कौन है इसके संबंध में सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक उभयपक्षों में से किसी का वारिसाना नामांतरण करना उचित एवं न्यायोचित नहीं होगा और यह तभी संभव है

जब तहसीलदार के समक्ष पूर्व से प्रचलित इन्द्राज दुरस्ती के प्रकरण कमांक 1086/बी–121/10–11 में जांच कर आदेश पारित किया जाये । ऐसी स्थिति में आवेदकों द्वारा उठाया गया तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर